भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 201
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

201. श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेताएं क्या है और उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए अब तक स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) महाराष्ट्र में अब तक इस योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या तथा इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा इस पर प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और
(ग) राज्य में इस योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को व्यापक रूप से कवर करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।
- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन 2 वर्ष के लिए कर रही है।
- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

योजना के तहत निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार लक्ष्य या आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 20.11.2021 को, इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में 17,368 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 6.45 लाख कर्मचारियों को 404.42 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों-दोनों के साथ सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****